RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक २४] मंगळवार, जुलै २५, २०१७/श्रावण ३, शके १९३९ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ३७

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

गृह विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित १४ जुलाई २०१७।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XIV OF 2017.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MOTOR VEHICLES TAX ACT.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १४ सन् २०१७।

महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश।

क्योंकि राज्य विधान मंडल के दोनो सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ हैं ;

सन् १९५८ का ६५।

अब, इसलिये, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश, प्रख्यापित करते हैं, अर्थात :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभण।

१. यह अध्यादेश महाराष्ट्र मोटार वाहन कर (संशोधन) अध्यादेश, २०१७ कहलाए।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

सन् १९५८ का बॉम्बे ६५ की द्वितीय अनुसूची में संशोधन।

२. महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा ३ में,— सन् १९४८ का ६५।

(एक) उप-धारा (१ग) में, खण्ड (ग) के बाद, निम्न परंतुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, इस उप-धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकतम सीमा २० लाख रुपये होगी।" ;

(दो) उप-धारा (१घ) में, परंतुक के बाद, निम्न परंतुक, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, यह और कि, इस उप-धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकतम सीमा २० लाख रुपये होगी।"।

सन् १९५८ का ६५ को संलग्न द्वितीय अनुसूची में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की **द्वितीय अनुसूची** के **भाग १** में, प्रविष्टि १ के स्थान में निम्न प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

" १. मोटर साइकिल और तिपहियाँ, उनके समेत जो ट्रेलर या पार्श्वगाडी खिंचने के लिये उपयोग में लायी जाती हैं,—

(क)	जिनकी इंजिन क्षमता ९९ सीसी तक हैं ;	न्यूनतम १,५०० रुपयों के अध्यधीन, वाहन के लागत के १० प्रतिशत ;
(ख)	जिनकी इंजिन क्षमता ९९ सीसी से अधिक किन्तु, २९९ सीसी तक हैं ;	न्यूनतम १,५०० रुपयों के अध्यधीन, वाहन की लागत के ११ प्रतिशत ;
(ग)	जिनकी इंजिन क्षमता २९९ सीसी से अधिक हैं ;	न्यूनतम १,५०० रुपयों के अध्यधीन, वाहन के लागत के १२ प्रतिशत ;"।

सन् १९५८ का ६५ को संलग्न तृतीय अनुसूची में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की **तिसरी अनुसूची** के **भाग एक** के स्तंभ (२) में, खण्ड (१), (२) तथा (३) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखे जायेंगे, अर्थात् :—

" (१) पेट्रोल द्वारा चलाये जानेवाले वाहन :

(क) यदि, वाहन की कीमत १० लाख रुपये तक हैं, तब वाहन की कीमत के ११ प्रतिशत ;

(ख) यदि, वाहन की कीमत १० लाख रुपयों से अधिक किंतु २० लाख रुपये से अनधिक हैं, तब वाहन की कीमत के १२ प्रतिशत ;

(ग) यदि, वाहन की कीमत २० लाख रुपयों से अधिक हैं, तब वाहन की कीमत के १३ प्रतिशत ;

(२) डिजल द्वारा चलाये जानेवाले वाहन :

(क) यदि, वाहन की कीमत १० लाख रुपये तक हैं, तब वाहन की कीमत के १३ प्रतिशत ;

(ख) यदि, वाहन की कीमत १० लाख रुपयों से अधिक किंतु २० लाख रुपयों से अनधिक हैं, तब वाहन की कीमत के १४ प्रतिशत ;

(ग) यदि, वाहन की कीमत २० लाख रुपयों से अधिक हैं, तब वाहन की कीमत से १५ प्रतिशत ;

(३) कम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस (सीएनजी) या लिक्वीफाईड पेट्रोल गॅस द्वारा चलाये जानेवाले, जिसमें विनिर्माता द्वारा सीएनजी/एलपीजी किट मूल उपकरणों के साथ बिठाये गये है :

(क) यदि, वाहन की कीमत १० लाख रुपये हैं, तब वाहन की कीमत के ७ प्रतिशत ;

(ख) यदि, वाहन की कीमत १० लाख रुपयों से अधिक किंतु २० लाख रुपयों से अनधिक हैं, तब वाहन की कीमत से ८ प्रतिशत ;

(ग) यदि, वाहन की कीमत २० लाख रुपयों से अधिक हैं, तब वाहन की कीमत के ९ प्रतिशत ;"।

वक्तव्य।

महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम (सन् १९५८ का ६५) की धारा ३, राज्य में उपयोग किये जानेवाले या उपयोग करने के लिए रखे गये सभी मोटर वाहनों पर, राज्य सरकार द्वारा **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत किये गये दरों पर जो उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकतम दरों से अनधिक हैं, कर के उदग्रहण और संग्रहण के लिये उपबंध करती हैं। तिसरी अनुसूची के भाग एक और भाग दो के अधीन, एक बार कर मोटर गाडी या ओमिनी बस पर उदग्रहीत हैं।

२. माल तथा सेवा कर के प्रवर्तन के कारण मूल्यवर्धित कर, चुंगी, १ जुलाई, २०१७ से उत्सादित हुई है। राज्य की राजस्व की संभावित हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिये, महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम के अधीन उदग्रहीत किया जानेवाला मोटर वाहन कर का दर बढाना आवश्यक हो गया हैं। यह भी उपबंध करना प्रस्तावित हैं कि, सभी प्रकार के वाहनों के लिए कर की अधिकतम सीमा २० लाख रुपये होगी, जो, राज्य में मोटर वाहनों को रजिस्ट्रर करने के लिए प्रोत्साहन के रुप में कार्य करेगा और जिसके फलस्वरुप, राज्य राजस्व में बढोतरी होगी। अतः, इसलिये, उक्त अधिनियम की द्वितीय और तृतीय अनुसूची में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया है।

३. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका हैं की, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें, उपरोक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र मोटर वाहन कर अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिये सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हैं, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है।

मुंबई,

दिनांकित १३ जुलाई, २०१७।

चे. विद्यासागर राव,

महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,–

सुधीर श्रीवास्तव,

शासन के प्रधान सचिव।

(यथार्थ अनुवाद)

हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.